सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 03/16 **निर्णय दिनांकः— 15.07.2019**

1. जसराज पुत्र श्री परमसुख
2. कैलाश | पुत्र जसराज जाति पुरोहित निवासी बीकमपुर
3. अशोक कुमार

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08—10—2012
सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर

उपस्थितः—
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08—10—2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादीगण के पूर्वज परमसुख के नाम ग्राम बीकमपुर के खसरा नम्बर 580 में तादादी 115 बीघा भूमि पुश्तैनी है जिस पर अपीलांट्स का पीढ़ियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में ग्राम बीकमपुर

रियासतकाल में जैसलमेर रियासत में था। जहॉ किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता था। ग्राम बीकमपुर का राजस्व रिकार्ड संवत् 2012 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा समरी सेटलमेंट तैयार किया गया। जिसमें क्रम संख्या 580 रकबा 115 बीघा भूमि अपीलांट्स के पूर्वज परमसुख के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड जमा करवाया गया है। मिसल बन्दोबस्त तैयार करते समय भू–प्रबन्ध विभाग ने अपीलांट्स के पूर्वज परमसुख की भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 339 रकबा 115 बीघा परमसुख के नाम दर्ज नहीं की जाकर आराजीराज दर्ज कर दी गईं जबकि संवत् 2015 से 2018 तक परमसुख द्वारा आराजीराज दर्ज भूमि का मालकाना आदि खजानाराज में जमा करवाया जाता रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग की उपरोक्त कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलांट्स ने अपने हक व हकूकों एवं अधिकारों की धोषणा हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे बिना किसी ठोस आधार के मात्र वादपत्र को निरस्त करने की मंशा से वाद का निस्तारण कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट की तरफ से प्रस्तुत जवाबदावे का गलत विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में तीन तनकीयात् कायम की गई जिसमें प्रथम तनकी कायम की गई कि आयाकि विवादित आराजी पुश्तैनी कब्जा काश्त की है। उपरोक्त तनकी के समर्थन में अपीलांट्स द्वारा खसरा गिरदावरी व ढालबांछ संवत् 2015 से 2018 प्रस्तुत की गई थी तथा स्टेट के जवाब के अनुसार भी आराजी जैर पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त साबित है। उक्त स्थिति के बावाजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को अतिक्रमी व उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा धारा 22 की कार्यवाही को आधार मानकर उपरोक्त तनकी अपीलांट्स के विरूद्व निस्तारित की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी तथ्यों के विपरीत जाकर निस्तारित की गई है। तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आयाकि आराजी मुतनाजा बरवक्त बन्दोबस्त श्री जसराज का नाम वार्षिक रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई उपरोक्त तनकी प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए गलत कायम की गई है क्योंकि अपीलांट्स

द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया था कि वादग्रस्त भूमि परमसुख के नाम समरी बन्दोबस्त तथा राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावारी व ढालबांछ संवत् 2015 से 2018 दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के संबंध में तनकीयात् कायम किया जाना राजस्व रिकार्ड के विपरीत होना साबित है। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आयाकि आराजी मुतनाजा को वादीगण अपने नाम रिकार्ड में अंकन करवाने का हकदार है। उपरोक्त तनकी में स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने कथन किया है कि मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स का लगभग 100 बीधा भूमि पर कब्जा काश्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि खसरा नम्बर 339 की 115 बीघा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वादीगण/अपीलांट के पिता के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट अथवा उनके पिता का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि कोई भूल रही गई अथवा भूमि दर्ज नहीं की गई थी तो तत्समय ही गैर खातेदारी, खातेदारी अथवा खसरा शुद्वि के बाबत् सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम तत्समय आवश्यकतानुसार अर्थात राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि दर्ज कर दी गई थी व वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा

काश्त नहीं होने के कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा राज दर्ज की गई थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों व रिकार्ड के बाहर जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि को बहाल कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद में तनीकयात् कायम करते हुए व तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नम्बर 339 की 115 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125 व 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई ।

1. तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि विवादित आराजीयात् पुश्तैनी कब्जा काश्त की है। वर्तमान में वादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में है?

उपरोक्त तनकी संबंध में अपीलांट्स द्वारा ढालबांछ संवत् 2015—15 में खसरा नम्बर 580/585 के 172 बीघा 10 बिस्वा रकबे का तावान वसूल किया जाने का उल्लेख किया गया है। खसरा गिरदावरी सवंत् 2015—2018 में 172 बीघा भूमि में से 50 बीघा भूमि पर परमसुख की काश्त बताई गई है। उक्त दस्तावेजों की मात्र छाया प्रतियॉ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल है, परन्तु किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। संवत् 2018 के पश्चात् के कब्जे को अतिक्रमण मानकर तावान कायम किया गया है। वादी/अपीलांट साबित नहीं कर पाया है कि टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने की तिथि या कानून द्वारा निर्धारित तिथियों को वे किस नियम के तहत खातेदारी अधिकार हासिल करने के हकदार थे। वादी/अपीलांट्स केवल पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का अनुतोष चाहते है, जो कानून सम्मत् नहीं है। इसप्रकार परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त तनकी संख्या 1 का निर्णय करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की है।

2. तनकी संख्या 2 कायत की गई कि आया कि आराजी मुतनाजा बरवक्त बन्दोबस्त श्री जसराज का नाम वार्षिक रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड था?

उपरोक्त तनकी के संबंध में अपीलांट्स द्वारा केवल मात्र सवंत् 2015—2018 की ढालबांछ के इन्द्राज का दस्तावेज प्रस्तुत किया है इसके अलावा अन्य कोई राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी वार्षिक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। ना ही यह साबित कर पाये कि बन्दोबस्त किस वर्ष हुआ तथ जसराज का नाम किस हैसियत से वार्षिक रजिस्टर में दर्ज था। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाहे जाने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकी संख्या 2 को अस्वीकार किया गया है।

3. तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आया कि आराजी मुतनाजा को वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के हकदार है?

उपरोक्त तनकी को अपीलांट्स को अपने पुराने कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में अंकन के आधार पर साबित करना था। इस संबंध में

अपीलांट् द्वारा अपने निरन्तर कब्जे काश्त के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व मौका कमीश्नर की रिपोर्ट दिनांक 29—11—2011 के अनुसार ग्राम बीकमपुर के खसरा नम्बर 580 रकबा 0.08 बीघा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2021—2031 के गैर मुमकिन कुॅआ दर्ज रिकार्ड होना बताया है तथा तहसीलदार द्वारा केवल ढालबांछ में वादी के पिता का नाम अंकित होने से अपीलांट्स का पुश्तैनी कब्जा नहीं माना है तथा धारा 22 की कार्यवाही होने के कारण उपरोक्त तनकी संख्या 3 को वादीगण/अपीलांट के विरूद्व निस्तारित की गई है। चूंकि अपीलांट्स अपने कब्जे काश्त व रिकार्ड के विपरीत जाकर खातेदारी चाहता है। जो कानून सम्मत् नहीं है।ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकीयात् अपीलांट्स/वादीगण के खिलाफ तय किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संवत् 2015 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के पूर्वज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए, स्टेट का जवाब आदि लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सही रूप से तनकीयात् को कायम नहीं किया गया है व ना ही तनकीयात् को साबित करने का भार सही रूप से पक्षकारान् पर डाला गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित

करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08—10—2012 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 15—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर